संख्या-14/2025-59-22-4-2025-1778806

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 05 उच्च सुरक्षा कारागारों में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु रूफटॉप सोलर प्लान्ट की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं संस्था को अग्रिम भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1652(1)/आधु-1/सोलर-प्लान्ट/वौल्यु-3/24-25, दिनांक 10-01-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में प्रदेश की 05 उच्च सुरक्षा कारागार यथा-जिला कारागार आजमगढ़, गौतमबुद्धनगर, चित्रकूट, लखनऊ एवं बरेली (वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, बरेली-द्वितीय) में ऑनग्रिड रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु रू0 836.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित प्रथम चरण में अग्रिम के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि **रू0 334.612 लाख (रूपया तीन करोड़ चौतीस लाख इकसठ हजार दो सौ मात्र)** अवमुक्त किये जाने एवं नामित कार्यदायी संस्था "उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ (यूपीनेडा)" को भुगतान किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कार्मिक अग्रिम भुगतान हेतु धन आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कार्मिक जिम्मेदार होगा।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाएगा।

(3) प्रोक्योरमेण्ड मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के संबंध में महानिरीक्षक कारागार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) महानिरीक्षक कारागार प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाउन्ट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे।

(5) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार करते हुये सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(6) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त ऑनग्रिड रूफटाप सोलर पावर प्लांट के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब ऑनग्रिड रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित ऑनग्रिड रूफटाप सोलर पावर प्लांट के मेक/माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(8) महानिरीक्षक कारागार क्रय किये जाने वाले ऑनग्रिड रूफटाप सोलर पावर प्लांट की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(9) ऑनग्रिड रूफटाप सोलर पावर प्लांट का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(10) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं तत्संबंधी संशोधित आदेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,34,61,200 (रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख इकसठ हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002200 कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-773-X-2024-25, दिनांक: 6.3.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2025-59-22-4-2025-1778806, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in